सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2( )परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/विविध/2019/ 2107 जयपुर, दिनांक 6/11/19

—:परिपत्रः—

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विकास अधिकारियों द्वारा प्रायः बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय छोड दिया जाता है अथवा बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश पर चले जाते हैं, जो कि एक सही प्रक्रिया नहीं है। राजस्थान सेवा नियमों में भी अवकाश स्वीकृति के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान किये गये है।

विकास अधिकारी का पद विभाग का एक महत्वपूर्ण पद है, जिसके द्वारा खण्ड स्तर पर विकास योजनाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य किया जाता है। उक्तानुसार अवकाश पर प्रस्थान करने अथवा मुख्यालय पर नहीं रहने के कारण विभागीय गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पडता है।

अतः समस्त विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने पदस्थापित मुख्यालय पर ही रहें एवं नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेकर ही मुख्यालय छोडें। बिना सूचना मुख्यालय छोडने वाले अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. जिला कलक्टर, समस्त।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
3. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशा.1)